



अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर विवादित आराजी ख0नं0 374 रकबा 14. 10 बीघा ग्राम मुंडियर का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावें, परन्तु कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में नियमानुसार प्रथक से कार्यवाही करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

10.07.2025  
 शाहाबाद अधिकारी  
 उपखण्ड शाहाबाद  
 शाहाबाद